

मुख्यमंत्री ने बीसलपुर व नवनेरा बाँध भरने पर खुशी जताई

उन्होंने कहा कि मानसून में अच्छी बारिश से नियमित जलपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी

जयपुर, 24 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीसलपुर बांध का पूरा भरना अत्यंत हर्ष का विषय है। यह पहली बार है जब जुलाई माह में बीसलपुर बांध का गेट खोला गया है। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक

और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि 24 जुलाई 2025 की तारीख ने प्रदेश में नया इतिहास रचा है। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहली बार लगातार दो साल बीसलपुर बाँध पूरा भरा है। इस बाँध से जयपुर, अजमेर व टोंक जिले की करीब एक करोड़ की आबादी को पेयजल आपूर्ति की जाती है।**

परियोजना के घटक नवनेरा बांध (इटवा, कोटा) का भरना भी जलापूर्ति के साथ ही कृषि कार्यों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी अंचलों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर के माध्यम से किसान सहित सभी वर्गों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मानसून में अच्छी बारिश होने से निर्बाध

पानी का स्तर बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर तक पहुंच गया। इसके बाद गेट नंबर 10 को 1 मीटर खोल दिया गया, जिससे लगभग 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जुलाई में ही बीसलपुर बांध भर गया है। साथ ही, यह पहली बार है कि लगातार दो वर्ष (2024–2025) बीसलपुर बांध भरा है। गौरतलब है कि यह बांध परियोजना जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले की लगभग एक करोड़ आबादी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

वहीं नवनेरा बांध भी गुरुवार को



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

पूरा भर गया। इसमें पानी का लेवल 214 आरएल मीटर पहुंच गया जिसके बाद इसके गेट नंबर 11, 12 व 13 खोल दिए गए। इससे 600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस निकासी से अपस्ट्रीम में कालीसिंह नदी

के आस-पास कुंआं और भूजल के स्तर में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि बांध की कुल भराव क्षमता 226.65 मिलियन क्यूबिक मीटर है एवं बांध की वर्तमान भराव क्षमता 159.87 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

कल तक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यादव, तेजस्वी यादव और अन्य नेता, इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। सभी को लग रहा है कि मतदाताओं को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना और इस तरह चुनाव को चुराना, लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद से फोकस लगातार बिहार और एस आई आर मुद्दे पर बना हुआ है।

विपक्ष रोजाना संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है और कल वे गांधी प्रतिमा से संसद के मकर द्वार तक मार्च करेंगे।

सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि विपक्ष को आपत्ति है, तो वह चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट जाए।

अब यह विपक्ष पर निर्भर है कि वह लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगा और उन तरीकों का विरोध कैसे करेगा, जिनके जरिए संविधान की अनदेखी करके, दिन-दहाड़े चुनावों में सेंध लगाई जा रही है तथा उन्हें प्रभावित किया जा रहा है।

आज निर्णय होगा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंतरिम रोज़े जारी रहनी चाहिए? पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति क्रांत ने कहा , हम कल 10-15 मिनट और लेंगे और मामले का निपटारा कर देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मुम्बई ट्रेन धमाकों पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 24 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी सभी 12 लोगों को बरी करने के बम्बई उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले पर गुरुवार को रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उस याचिका

■ **लेकिन हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए सभी 12 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।**

को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले को अन्य लॉबि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों में मिसाल नहीं माना जाए। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले की अवज्ञा को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर संबंधित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस दलील पर गौर किया और स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

इंडी ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर जिन शिकायतों के आधार पर छापेमारी की है, वे अंबानी समूह की कंपनियों द्वारा लोन के दुरुपयोग, रिजर्वतखोरी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी से संबंधित हैं।

सूत्रों का कहना है कि इंडी को प्राप्त हुई जानकारीयें नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, बैंक आफ बड़ौदा आदि से

अनिल अंबानी की कंपनियों पर ई.डी. ने रेड की

यह कार्यवाही अनिल अंबानी की कम्पनियों द्वारा 3000 करोड़ रु. के फर्जीवाड़े को लेकर की गई है

■ **आरोप है, कि अंबानी समूह की कंपनियों ने 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से प्राप्त 3000 करोड़ रु. के ऋण में भारी हैराफेरी की थी।**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी अनिल अंबानी समूह की कंपनियों एवं यस बैंक से जुड़े करीब 3000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है।

इस छापेमारी को लेकर अनिल अंबानी समूह की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है कि जिन रिपोर्टों को लेकर

इंडी की कार्रवाई की जा रही है, वे रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े आठ वर्ष से ज्यादा पुराने लेन-देने से संबंधित प्रतीत होती हैं।

इंडी ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर जिन शिकायतों के आधार पर छापेमारी की है, वे अंबानी समूह की कंपनियों द्वारा लोन के दुरुपयोग, रिजर्वतखोरी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी से संबंधित हैं।

सूत्रों का कहना है कि इंडी को प्राप्त हुई जानकारीयें नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, बैंक आफ बड़ौदा आदि से

दस्तावेजों की भी कमी थी। कहा जा रहा है कि रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लि. (आएचएफएल) द्वारा दिए गए कॉर्पोरेट लोन में भारी उछाल देखने के बाद सेबी ने यह जानकारी इंडी के साथ साझा की थी।

ये कॉर्पोरेट लोन 2017-18 के 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़ कर, 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए हो गए थे। अब इंडी इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये उछाल किसी लोन डायवर्जन योजना से तो नहीं जुड़ा था।

बता दें कि इंडी की यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रिलायंस कम्प्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किए जाने के बाद शुरू हुई है।

गुरुवार को हुई इंडी की छापेमारी पर रिलायंस समूह द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि प्रमोटर की कुछ निजी कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए ऋण उन कंपनियों की योग्यता के आधार पर स्वीकृत किए गए थे।

केन्द्र सरकार को संवैधानिक पदों , संस्थाओं व संविधान की परवाह नहीं- पायलट

सचिन पायलट ने टोंक में धन्ना तलाई के ड्रेनेज सिस्टम व सौन्दर्यीकरण का शिलान्यास किया



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने गुरुवार को टोंक में डेढ़ करोड़ रुपये के पानी निकासी के ड्रेनेज सिस्टम एवं सौन्दर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया।

संविधान की कोई परवाह नहीं है।

करने का काम भाजपा सरकार ने किया है।

पायलट ने डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से टोंक शहर स्थित धन्ना तलाई

■ **कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, भाजपा सरकार मनरेगा योजना की प्रक्रिया को इतना जटिल बना रही है कि लोग इससे जुड़ ही नहीं पायें।**

के पानी की निकासी के ड्रेनेज सिस्टम एवं सौन्दर्यीकरण कार्य का शिलान्यास तथा विधायक मद से 10 लाख रुपये की राशि से वाई नं. 56 में बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि धन्ना तलाई में आज जो विकास कार्य का शिलान्यास किया है, इस कार्य के पूर्ण होने पर यहां के लोगों को गंदे पानी से निजात मिलेगी और यहां एक सुन्दर पार्क विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज तथा न्यू हॉस्पिटल का कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाला है। इससे टोंक व आसपास के लोगों को इलाज के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो विकास के कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।

‘क्या मृत मतदाताओं को भी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि हर चुनाव के लिए एक जुटेंडरहित और साफ-सुथरी मतदाता सूची तैयार चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है।

उन्होंने पूछा, “क्या पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की गई एक शुद्ध मतदाता सूची, निपक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं होती?” उन्होंने आगे कहा, “इन सवालों पर, कभी न कभी हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर गंभीरता से सोचना होगा।”

मुख्य चुनाव आयुक्त की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय आई हैं जब विपक्षी दल, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) और

कांग्रेस, यह आरोप लगा रहे हैं कि एस.आई.आर. प्रक्रिया के कारण 50 लाख से अधिक लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

कुमार ने उसी संविधान का हवाला दिया, विपक्ष के अनुसार, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से कुचला जा रहा है।

ज्ञानेश कुमार ने कहा, “भारत का संविधान ही भारत के लोकतंत्र की जननी है। चुनाव आयोग को डर है कि अगर मृत लोगों के नाम पर, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम पर, डुप्लीकेट या फर्जी और विदेशी वोटरों के नाम पर वोट डाले गए, तो चुनाव प्रक्रिया भटक सकती है। इसीलिए यह

समीक्षा बिहार में शुरू की गई है और इसे पूरे देश में ले जाया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा। “क्या चुनाव आयोग को ऐसे मतदाताओं को सूची से नहीं हटाना चाहिए?” चुनाव आयोग के द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार की मतदाता सूची से 56 लाख नाम हटाए जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन 56 लाख नामों में शामिल हैं: 20 लाख मृतक मतदाता, 28 लाख अन्य राज्य में स्थायी रूप से चले गए लोग, 7 लाख ऐसे लोग जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं और 1 लाख ऐसे मतदाता जिनसे संपर्क नहीं हो सका। इसके अलावा, लगभग 15 लाख लोगों ने सत्यापन फॉर्म वापस नहीं किया, जिससे उनकी स्थिति भी संदेह में आ गई है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के रूप में देखा जाता है। ऐसे में, अखिलेश यादव ने अपने मंदिर के वीडियो को पोस्ट करना बेहतर समझा, तथा इस बहाने पहले पहले सोमवार को सबसे “रामा-श्यामा” भी बिहार की मतदाता सूची से 56 लाख नाम हटाए जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन 56 लाख नामों में शामिल हैं: 20 लाख मृतक मतदाता, 28 लाख अन्य राज्य में स्थायी रूप से चले गए लोग, 7 लाख ऐसे लोग जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं और 1 लाख ऐसे मतदाता जिनसे संपर्क नहीं हो सका। इसके अलावा, लगभग 15 लाख लोगों ने सत्यापन फॉर्म वापस नहीं किया, जिससे उनकी स्थिति भी संदेह में आ गई है।

उनका आरोप है कि मंदिर की नकल करना केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थस्थल की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इसे 'सनातन धर्म' को खिलाफ एक बड़ी साजिश" करार देते हुए कहा कि यह सदियों पुराने हिमालयी मंदिर की ऐतिहासिक धार्मिक महत्ता को कमजोर करने का प्रयास है।

हालांकि यादव ने इस आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन 2023 का एक पुराना वीडियो, जिसमें वे धार्मिक प्रवचनकर्ता अतिरुद्धाचार्य के साथ सड़क किनारे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, हाल ही में वायरल हुआ है। इस वीडियो के जरिए उनकी हिंदू संतों के

साथ कथित अभद्रता की आलोचना फिर से शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त, यादव की 'सॉफ्ट हिंदुत्व' रणनीति की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना से ही इसकी धर्मनिरपेक्ष पहचान रही है। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को अक्सर मुस्लिम तृष्टिकरण के रूप में देखा गया है-खासतौर पर उत्तर प्रदेश में।

समाजवादी पार्टी के गठन से पहले, जब सपा-संस्थापक मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अखिलेश यादव की वर्तमान धार्मिक मुद्रा के लिए विश्वसनीयता को और कमजोर करती है।

आमतौर से ऐसा माना जाता है कि जनता की स्मृति अल्पकालिक होती है और दशकों पुराने विवादों का चुनावी प्रभाव कम हो जाता है, फिर भी हाल ही में संसद मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ अखिलेश यादव की बैठक ने उनकी 'सॉफ्ट हिंदुत्व' नीति की ईमानदारी पर नये सिर से संदेह पैदा कर दिये हैं।

यादव के 'हिंदुत्व' ब्रांड के लिये सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो पहले से ही एक शक्तिशाली हिंदुत्व प्रतीक के रूप में स्थापित हैं तथा इस प्रकार, समाजवादी पार्टी के लिए इस क्षेत्र में विस्तार की गुंजाइश सीमित दिखाई देती है।

नाबालिग का देह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईमेल कर अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दी थी। इस पर वह झोटावाड़ा स्थित अपनी दुकान से घर चला गया। जहां पीड़िता ने उसे बताया कि अभियुक्त उसे डरा धमकाकर आए दिन दुष्कर्म करते थे। इसके बाद, शाम के समय पीड़िता ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय पर पता चलने पर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, पीड़िता ने अदालत को बताया कि शैतान का शराब का ठेका उसके घर के पास होने के कारण वह उसे जानती थी। शैतान ने 9 मई 2018 को उसे नौद की गोलियां देकर, परिजनों को देने को कहा। रात के समय उसने परिजनों को नौद की गोलियां दीं और शैतान से मिलने उसके चली गई।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गतिशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामान, सेवाओं और डिजिटल व्यापार के प्रवाह को फिर से आकार देने वाला एक रणनीतिक सहयोग है।

एफटीए का मूल उद्देश्य है शुल्कों को अभूतपूर्व स्तर पर कम करना। अब भारत से 99 प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन में बिना शुल्क के प्रवेश करेंगे, जिससे वस्त्र, रत्न और आभूषण, जूते, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पादों और मशीनरी जैसे क्षेत्रों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय निर्यातकों के लिए इसका मतलब है उच्च-मूल्य वाले ब्रिटिश बाजारों तक लगभग त्वरित पहुंच, वह भी पहले जैसी लातत बाधाओं के बिना। कपड़ा उद्योग, जो पहले से ही बड़े पैमाने पर रोजगार देता है, इस समझौते से सबसे अधिक लाभ उठाने वालों में से एक होगा,

साथ ही भारत के एमएसएमई और समुद्री उत्पाद निर्यातक भी लाभान्वित होंगे।

बदले में, भारत ब्रिटेन से आने वाले 90 प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्कों का कम करेगा, जिससे भारतीय उद्योगिका बाजार में प्रीमियम कारों, दवाओं, स्कॉच व्हिस्की और उच्च गुणवत्ता वाली कार्रकेट जैसे ब्रिटिश वस्तुओं पर वर्तमान में 150 प्रतिशत टैक्स लगता है, जिसे तुरंत घटाकर 75 प्रतिशत और अगले दस वर्षों में 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी तरह, ब्रिटिश लज़री कारों पर 100 प्रतिशत से अधिक आयात शुल्क लगा था, इसे घटाकर मात्र 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

हालांकि यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सेवाएं-जो भारत के लिए एक प्रमुख क्षेत्र हैं, भी इसका बड़ा लाभ उठाएंगी। एफटीए में आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, वास्तुकला और परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय कंपनियों के ब्रिटेन में प्रवेश नियमों में ढील दी गई है। वहीं, ब्रिटिश सेवा प्रदाताओं को भारत के मध्यम वर्ग द्वारा संचालित सेवा अर्थव्यवस्था तक सुनिश्चित पहुंच मिलेगी।

एक ऐतिहासिक प्रावधान एक लंबे समय से चली आ रही भारतीय चिंता को दूर करता है, यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों द्वारा सामाजिक सुरक्षा भुगतान। इस समझौते के तहत, ऐसे पेशेवर अब तीन वर्षों तक इन भुगतानों से मुक्त रहेंगे, प्रत्येक कर्मचारी के लिए हजारों पाउंड की संभावित वार्षिक बचत।

यह समझौता छोटे और मध्यम उद्यमों को भी सशक्त बनाता है, जिसमें सरल कस्टम प्रक्रियाएं, 48 घंटे में क्लीयरेंस और डिजिटल व्यापार सुगमता का वादा शामिल है। सीमा-पार डिजिटल व्यापार को संरक्षित किया जाएगा, जिसमें ई-कॉमर्स ड्यूटी पर रोक, ई-कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी मान्यता और सुरक्षित डेटा प्रवाह के प्रोटोकॉल शामिल हैं।

हालांकि भारत खुलापन अपना रहा है, लेकिन डीज़ल वाहन, उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे धीरे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है, यह संकेत देता है कि भारत घरेलू प्राथमिकताओं की रक्षा भी कर रहा है।

एफटीए को जुलाई में भारत की कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और इसे यूके की संसद द्वारा भी जल्द ही अनुमोदित किया जाएगा। अगले 9 से

15 महीनों में इसके लागू होने की उम्मीद है।

यह समझौता केवल एक आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि यह एक साहसिक भू-राजनीतिक वक्तव्य है। जब वैश्विक व्यापार साझेदारियों का पुनर्गठन हो रहा है, भारत और ब्रिटेन एक-दूसरे के भविष्य पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र ने इस एफटीए का जोरदार स्वागत किया है और इसे भारत के उभरते व्यापार बांधे में एक प्रमुख मील का पत्थर बताया है, जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है।

आरपीजी ग्रुप के वाइस चेयरमैन अनंत गोयनका ने कहा, “भारत-ब्रिटेन एफटीए दोनों देशों के बीच साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह समझौता व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय निर्यातकों के लिए बेहतर

बाजार पहुंच और अधिक निश्चितता प्रदान करेगा। हम इस व्यापक समझौते का स्वागत करते हैं, जो भारतीय व्यापारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आता है और उच्च स्तर के द्विपक्षीय व्यापार व आर्थिक सहयोग की नींव रखता है।”

महेंद्रा ग्रुप के ग्रुप सीईओ और एमडी, अनिश शाह ने कहा, “भारत और ब्रिटेन के बीच यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी क्षण है। यह केवल व्यापार की जीत नहीं है, बल्कि एक आधुनिक साझेदारी का खाका है, जिसमें नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को केन्द्र में रखा गया है। जैसे-जैसे भारतीय उद्योग वैश्विक होता जा रहा है, हम इस साझेदारी के अगले अध्याय में सार्थक योगदान देने की

उम्मीद करते हैं।”

फिक्की के अध्यक्ष और इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एवं एमडी, हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, “भारत-यूके एफटीए पर हस्ताक्षर करने के व्यापार बांधे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। यह आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों का पूरक है, जिससे घरेलू उद्योग वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकें, प्रतिस्पर्धी बन सकें और मूल्य श्रृंखलाओं का अधिक प्रभावी तरीके से लाभ उठा सकें। फिक्की इस विकास का स्वागत करता है, जो एक अधिक लचीला और अवसर प्रधान व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक कदम है, जिससे दोनों देशों और उनके नागरिकों को लाभ होगा।”